राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–264/2008/जयपुर

मै0 त्रिवेणी स्टोर क्रेशर,
गुणावता, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री डी. कुमार,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 03/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, राज0 जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील क्रमांक 12/अपील्स/03–04 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी स्टोन ग्रिट का व्यवसाय करता है। अपीलार्थी व्यवसायी का सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम,जयपुर (जिसे आगे कर **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29,58 एवं 61 (कर निर्धारण वर्ष 2000–01) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 12.12..2002 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध कर, सरचार्ज, शास्ति व ब्याज कुल रूपये 6,73,877/–अधिरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2007 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को तथ्यों की छांन–बीन हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय, अपील कर रू0 84,973/– के बिन्दु पर पेश की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी जो ग्रीट बेची है वह 10 प्रतिशत से कर देय है। ग्रीट सामान्यतः रोडमैटल है जो सड़क निर्माण में काम में आती है। ग्रीट पर कोई भी विशिष्ट कर दर निर्धारित नहीं की हुई है। अपीलार्थी द्वारा ग्रीट की बिक्री पर सामान्य दर पर कर की

लगातार.....2

अदायगी की गई है जो कि पूर्णतया उचित एवं विधिक है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर 12 प्रतिशत से कर आरोपित किया है जो विधिविरूद्ध है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे।

4. प्रत्यर्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 12.12.2002 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2007 द्वारा प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनकर पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.09.2009 पारित कर दिया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेश कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अपील सारहीन हो जाने से खारिज होने योग्य है।

6. फलतः अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष